न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1333–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–4–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 229/अपील/13–14.

———

1– ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री एम.एल. गुप्ता
निवासी आनन्दगढ़ हाउस जयस्तम्भ चौक, रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

2– वृजेन्द्र कुमार मिश्रा तनय जगदम्बा प्रसाद ब्रा.
साकिन आनन्दगढ़ तहसील अमरपाटन,
जिला सतना म.प्र.

3– मृत्युंजय तनय शिवभान दुबे,
साकिन आनन्दगढ़ तह. अमरपाटन
जिला सतना म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

नरेश कुमार सिंह तनय रघुराज सिंह
निवासी ग्राम आनन्दगढ़ तह. अमरपाटन
जिला सतना म.प्र. ——— अनावेदक

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. वाजपेई ।

———

:: आदेश ::
(आज दिनांक 01-10-2015 को पारित)

———

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 229/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 3–4–14 के विरूद्ध तहत प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक

वृत्त आनंदगढ़ की पंजी क्रमांक 84 आदेश दिनांक 20–12–62 के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के तहत अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना के यहां अपील पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–1–14 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त आनंदगढ़ के आदेश दिनांक 20–12–62 को निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 16–9–14 को सात दिवस मे लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमो में आवेदक की ओर से निम्न आधार दिये गये हैं :–

(अ) यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य हैं ।

(ब) यहकि, अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय व द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा ना तो रिकार्ड का अवलोकन किया और ना प्रकरण में आये दस्तावेजों का परिशीलन किया महज कल्पना के आधार पर शिकायतकर्ता को पक्षकार मानकर अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है ।

(स) यहकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय व द्वितीय अपीलीय द्वारा प्रकरण में आई दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा कर अनियमित एवं अवैधानिक आदेश पारित किये हैं ।

(द) यहकि, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिदु पर विचार नहीं किया है कि प्रकरण में वर्णित भूमियों के संबंध में प्रकरण सन् 1989 से विभिन्न न्यायालयों में आज दिनांक तक संचालित है तथा सन् 2000 में दादू जगदीश सिंह जो प्रकरण में विवादित भूमियों के भूमिस्वामी थे उनकी मृत्यु हो गई तत्पश्चात उनके वारिस के रूप में भी शिकायतकर्ता द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सोते रहे अर्थात मृतक दादू जगदीश सिंह के वारिस नहीं बने । तत्पश्चात सीलिंग प्रकरण में हुए निर्णय जो 2002 में हुआ उसमें आपत्ति 2006 अर्थात 4 साल बाद प्रस्तुत

की उस प्रकरण में धारा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन गलत तथ्यों पर पेश किया तत्पश्चात इन्हीं भूमियों के संबंध में 15.4.13 को पुनः शिकायतकर्ता के रूप में व उसके पश्चात अपीलांट के रूप में अपील प्रस्तुत कर धारा 5 का आवेदन गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया किंतु अधीनस्थ प्रथम एवं द्वितीय न्यायालयों द्वारा समयावधि के कानूनी बिंदु को अनदेखा कर क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किये हैं इस कारण आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में आवेदकों की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तथ्यों एवं आधारों का विस्तार से खंडन किया गया है तथा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि वर्ष 1958–59 की खतौनी के अनुसार विवादित भूमियां अनावेदक के स्व0 नाना के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थीं इसकी पुष्टि हल्का पटवारी प्रतिवेदन, थाना प्रभारी, थाना ताला के प्रतिवेदन एवं तहसीलदार, अमरपाटन के प्रतिवेदन से होती है । इन प्रतिवेदनों का कोई खंडन आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रकरण में विवादित भूमियो के संबंध में कोई दस्तावेज अर्थात विक्रयपत्र आदि जो निगराकार के हक में हों आज तक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । आवेदक ओ.पी. गुप्ता द्वारा वर्ष 2001 में एक सिविल वाद दिनांक 7–9–01 को प्रस्तुत किया गया था जो प्र0क0 85ए/2001 बाद में चेन्ज मु.नं. 302ए/2006 हुआ । सिविल न्यायालय द्वारा निगराकार के उपरोक्त सिविल वाद में प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 को आवेदक के पास कोई विक्रयपत्र आराजी को उनके पक्ष में न होने से उनको सदिग्ध भूमिस्वामी मानकर दिनांक 2–9–02 को निरस्त कर दिया गया बाद में दिनांक 23–7–09 को आवेदक ओ.पी. गुप्ता द्वारा इस सिविल वाद को वापिस ले लिया गया ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को पर्याप्त सुनवाई का अंवसर दिया गया है । दिनांक 16–12–13 को आवेदक अधिवक्ता के द्वारा यह कथन करने पर कि अब कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत नहीं करना चाहते तथा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करने हेतु सहमति दी गई । आवेदक को लिखित तर्क हेतु भी समय दिया गया किंतु उनके द्वारा कोई लिखित तर्क नहीं पेश किये गये इस संबंध में उनके द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 16–12–13 एवं 24–12–13 का

उल्लेख किया गया और कहा गया कि आवेदक को अपना स्वामित्व और आधिपत्य साबित करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि जहां तक समयसीमा का प्रश्न है, समय सीमा का बंधन इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि प्रार्थी को आवेदक द्वारा कराई गई फर्जी प्रविष्टि वर्ष 1962–63 की जानकारी पूर्व में नहीं थी । आवेदक वर्ष 2013 में जब अपने नाना के गांव आया और आवेदक श्री ओ.पी. गुप्ता द्वारा इन भूमियों को विक्रय करने का पता चला तब आवेदक द्वारा इन भूमियों से संबंधित रिकार्ड खोजबीन करने पर इन दस्तावेजों को देखने का मौका मिला और तथ्यों की जानकारी हुई । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश अवैध एवं क्षेत्राधिकार रहित हो तो समयसीमा का कोई बंधन नहीं है । अवधि अधिनियम की धारा 5 का मुख्य रूप से उद्धेश्य यह है कि कानून का दुरूपयोग न हो और न्यायालय का समय खराब न हो । इस धारा का उद्धेश्य मुख्य रूप से न्याय देना भी है । असत्य तथ्यों को इस अधिनियम की इस धारा से रोका नहीं जा सकता, किसी को विधिक अधिकार नहीं दिया जा सकता और किसी भी गलत प्रकिया को मान्यता नहीं दी जा सकती । प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमियों को वर्ष 1963–64 खसरा पांचसाला की विवादित प्रविष्टियों को इससे पूर्व कभी चुनौती नहीं दी गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार का आदेश पारित किया गया है जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक द्वारा सीलिंग प्रकरण से संबंधित राजस्व मंडल एवं अन्य न्यायालयों के जिन प्रकरणों और आदेशों का हवाला दिया गया है उसमें प्रश्नाधीन भूमि सम्मिलित नहीं है । राजस्व मंडल द्वारा सीलिंग प्रकरण से संबंधित प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है और उसमें राजस्व मंडल के आदेश को स्थगित किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण अलग भूमियों के फर्जी प्रविष्टि से संबंधित है, जिसे रोके जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है । आवेदक जानबूझकर फर्जी तरीके से कराई गई प्रविष्टि की जांच नहीं होने देना चाहता है तथा यह चाहता है कि वह फर्जी प्रविष्टि व फर्जी इन्द्राज के सहारे भूमिस्वामी बना रहे ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा

अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पंजी कमांक 84 पर प्रविष्टि दिनांक 20.12.63 को किन दस्तावेजों के आधार पर की गई है अभिलेख से स्पष्ट नहीं है और ना ही अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को किस प्रकार से भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हुए हैं । आवेदकगण द्वारा ना तो दोनों अपीलीय न्यायालयों के समक्ष और ना ही इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेज साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमियों पर आवेदकगण को विधिवत स्वत्व प्राप्त हुए थे । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष पूर्णतया विधिसम्मत हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई प्रविष्टि पूर्णतया विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.63 निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 16–12–13 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्षों द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा उभयपक्षों द्वारा सहमति से प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अंतिम तर्क के लिए दिनांक 24–12–13 को नियत किया गया है तथा दिनांक 24–12–13 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों के तर्क गुणदोष पर सुने जाकर दिनांक 27–1–14 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जो अपने स्थान पर उचित न्यायिक और विधिसम्मत है । विलंब के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्णतयाः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित पारित आदेश में समयसीमा का बंधन लागू नहीं होता है और ऐसा आदेश प्रारंभ से शून्य होकर प्रभावहीन होता है तथा उक्त स्थिति में आदेश की जानकारी दिनांक से समयावधि प्रारंभ होती है तथा विलंबित समयावधि का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । न्यायदृष्टांत 2005 आर0एन0 186 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा – 44(1) – आक्षेपित आदेश न केवल अवैध अपितु शून्य – 23 वर्ष पश्चात अपील ग्रहण किया जाना अनुज्ञेय है ।

" न्यायदृष्टांत 1994 आर0एन0 302 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – परिसीमा का प्रश्न – आदेश अधिकारिता रहित – ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है – परिसीमा का वर्जन नहीं । "

" न्यायदृष्टांत 1982 आर0एन0 417 में यह प्रतिपादित किया गया है कि – लिमिटेशन एक्ट, 1963 – धारा 5, अवधि बाह्य अपील – विवादित आदेश अधिकारिता रहित – म्याद का प्रश्न नहीं उठता । उक्त निर्णय ए0आई0आर0 1954 एस0सी0 340 पर आधारित है ।"

प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांतों एवं प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के जो आदेश हैं वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–4–14 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर